आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई की बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, राजमहल।
नामांतरण अपील वाद सं0– 08/2012–13
बुचना उरॉव
बनाम
एतवा उरॉव
आदेश

17 यह नामांतरण अपील वाद आवेदक श्री बुचना उरॉव पिता स्व0 गंगा उरॉव सा0 तुरतीपुर थाना राजमहल के आवेदन पर संतुष्ट होकर अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 648/08–09 में दिनांक 30.09.2008 में पारित आदेश के विरूद्ध प्रारम्भ की गई है।

इस नामांतरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि राजमहल अंचल अंतर्गत मौजा तुरतीपुर के जमाबंदी नं0 207 दाग नं0 80/84 रकवा 11 कट्ठा 10 धूर एवं दाग नं0 81 रकवा 06 कट्ठा 01 धूर कुल रकवा 17 कट्ठा 11 धूर भूमि है।

इस नामांतरण अपील वाद में उभय पक्षों को नोटिश निर्गत किया गया। विधिवत नोटिश तामिला प्राप्त होने के पश्चात उभय पक्ष उपस्थित हुए। लेकिन दिनांक 14.11.2014 से आज तक अपीलार्थी अनुपस्थित है, फलस्वरूप एक पक्षीय सुनवाई की गई। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल की गई है तथा निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि मौजा तुरतीपुर के जमाबंदी नं0 207 दाग नं0 80/84 एवं दाग नं0 81 कुल रकवा 17 कट्ठा 11 धूर भूमि का मूल खतियानी रैयत गोपाल तिवारी एवं शरतचन्द्र तिवारी दोनों पिता स्व0 हरिचन्द्र तिवारी है एवं उसके मृत्यू के बाद खतियानी रैयत के पोता उत्तरवादी क्र0 02 रामदेव तिवारी ने उक्त भूमि को निबंधित केवाला सं0 804/2008 के द्वारा उत्तरवादी क्र0 01 एतवा उरॉव को बिक्री कर दिये तथा प्रश्नगत भूमि अपने नाम नामांतरण कराकर सरकार को लगान देकर लगान रसीद प्राप्त कर रहे है। उन्होने यह भी कहा कि अपीलार्थी का अपील आवेदन काल बाधित है, क्योंकि नामांतरण वाद सं0 648/08–09 में अंचल अधिकारी राजमहल ने दिनांक 30.09.2008 को नामांतरण की स्वीकृति दी है एवं अपीलार्थी द्वारा लगभग चार वर्षों बाद दिनांक 07.08.2012 को यह नामांतरण अपील वाद दायर किया गया है। उनका यह भी कहना है कि प्रश्नगत भूमि के संबंध में उत्तरवादी क्र0 01 ने अपीलार्थी एवं उसके भाई के विरूद्ध अपर मुख्य न्यायाधीश प्रथम राजमहल के न्यायालय में टाइटिल सुट सं0 57/13 दाखिल किया गया है, जिसमें अपीलार्थी उपस्थित हुए है तथा वाद लंवित है।

अतः उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, राजमहल के नामांतरण वाद सं0 648/08–09 में दिनांक 30.09.2008 को पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी के द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किये हैं।

अंचल अधिकारी, राजमहल के पत्रांक 434/रा0, दिनांक 17.09.2012 के द्वारा नामांतरण वाद सं0 648/08–09 एतवा उरॉव–बनाम्–16 आना रैयत का मूल अभिलेख प्राप्त हुआ है। मूल अभिलेख में संलग्न हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक एतवा उरॉव पिता स्व0 कलिया उरॉव सा0 तुरतीपुर ने निबंधित केवाला सं0 804 दिनांक 08.02.2008 के द्वारा जमाबंदी रैयत से क्रय कर प्राप्त किये है। क्रय के पश्चात आवेदित जमीन आवेदक के दखल में है। उक्त प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजमहल ने नामांतरण की स्वीकृति प्रदान की है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने, उनके द्वारा दाखिल कारण पृच्छा के अवलोकन करने से निम्न तथ्य सामने ओते हैः–

1. अपीलार्थी दिनांक 14.11.2014 से आज तक लगातार अनुपस्थित है। इससे प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को इस अपील वाद में कोई रूची नहीं है।
2. प्रश्नगत भूमि उत्तरवादी के दखल में है।
3. नामांतरण का मूल आधार भूमि के दखल से है, जिस आधार पर सरकार को भू–लगान एवं राजस्व की प्राप्ति होती है।

उपरोक्त तमाम स्थितियों एवं परिस्थितियों पर सम्यक विचारोपरांत अपीलार्थी के द्वारा दायर नामांतरण अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

22/4/15

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल

22/4/15

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता
राजमहल।

Scanned with CamScanner